

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::-

निम्नांकित व्याख्याता (रकूल शिक्षा) की उनके नाम के सम्बंधित अधिकारी व्याख्याता की वेतन आहरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता मय कार्यरत रथान	अवधि	राजमार्ग/रावाचमार्ग जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है।
1	श्री मनोज कुमार पाण्डेय व्या. अंग्रेजी, श्रीमती हीरावाई गट्टाणी रावाचमार्ग नोखा, बीकानेर	जनवरी 2021 से फरवरी 2021 तक	वावा छोटूनाथ, राजमार्ग नोखा, बीकानेर में व्याख्याता वाणिज्य के रिक्त पद विस्तृत।
2	श्री अभिषेक पारीक व्या. अंग्रेजी राजमार्ग ललानिया, नोहर, हनुमानगढ़	जनवरी 2021 से फरवरी 2021 तक	राजमार्ग नोहर, हनुमानगढ़ में व्याख्याता कृषि विज्ञान के रिक्त पद के विस्तृत।

उपरोक्त अवधि में संबंधित कार्मिक द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपयोग किया है तो उक्त अवकाश प्रकरण का नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा/मा/संस्था/सी-1/वेतन व्यवरथा/2019-20
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक)
3. संबंधित प्रधानाचार्य
4. संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट
6. रक्षित पत्रावली

दिनांक : 22-03-2021

— ८ —
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर